# माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय, सहारनपुर

(पुवाँरका, सहारनपुर, उ0प्र0, पिन–247120)

Website- msuniversity.ac.in Email ID – registrar@msuniversity.ac.in

पत्रांकः 464/एके0/एम0एस0यू0/2024-25 दिनांकः 30/09/25

सेवा में,

(केवल ई-मेल द्वारा)

**1- प्राचार्य/प्राचार्या**
**समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय,**
**राजकीय, अनुदानित [illegible]**
**सहारनपुर, मुजफ्फरनगर व शामली।**

**2- शैक्षणिक समन्वयक,**
**माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय,**
**सहारनपुर।**

**विषय - दिनांक 30 जून/31 दिसम्बर को सेवा निवृत्त होने वाले प्रदेश के विश्वविद्यालयों/अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की तिथि (30 जून/ 31 दिसम्बर) के ठीक अगले दिन अर्थात 01 जुलाई/01 जनवरी को वेतनवृद्धि नियत होने पर ऐसे कार्मिकों की पेंशन की गणना हेतु एक नोशनल वेतनवृद्धि जोडें जाने के संबंध में।**

महोदय/महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषयक विशेष सचिव, उ0 प्र0 शासन, उच्च शिक्षा अनुभाग - 2, लखनऊ के पत्र संख्या-1/1076319/2025/70-2005(002)/16/2024 दिनांक 02-09-2025 का अवलोकन करने का कष्ट करें। जिसके माध्यम से अवगत कराना है कि शासनादेश में दिनांक 30 जून अथवा 31 दिसम्बर को सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के संबंध में वेतनवृद्धि एवं पेंशन की गणना हेतु निहित प्रावधानों का अनुपालन किया जाए। जोकि स्वतः स्पष्ट है। उक्त शासनादेश की प्रमाणित प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही हैं।

उक्त के आलोक में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश में उल्लिखित प्रावधानों का विधिवत अनुपालन करना सुनिश्चित करें।

**(संलग्नक यथोपरि)**

30-9-25
**कुलसचिव**

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः**

1- कुलपति कार्यालय को मा0 कुलपति जी को सूचनार्थ।
2- परीक्षा नियंत्रक।
3- वित्त अधिकारी।
4- गार्ड फाइल।

**उपकुलसचिव**

1349
Reg

VC0/105
4/9/25

संO-I/1076319/2025/70-2005(002)/16/2024

प्रेषक,

निधि श्रीवास्तव,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1) कुलपति/कुलसचिव,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,
उ0प्र0।

2) निदेशक,
उच्च शिक्षा,
उ0प्र0, प्रयागराज।

उच्च शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक-02-09-2025

विषय-दिनांक 30 जून/31 दिसम्बर को सेवानिवृत्त होने वाले प्रदेश के विश्वविद्यालयों/अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की तिथि (30 जून/ 31 दिसम्बर) के ठीक अगले दिन अर्थात 01 जुलाई/01 जनवरी को वेतनवृद्धि नियत होने पर ऐसे कार्मिकों की पेंशन की गणना हेतु एक नोशनल वेतनवृद्धि जोड़े जाने के संबंध में।

महोदय,

उल्लेखनीय है कि वित्त विभाग के शासनादेश सं0-11/2024/सा-3-227/10-19099/4/2024 दिनांक 12.06.2024 द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि दिनांक 30 जून/31 दिसम्बर को सेवानिवृत्त होने वाले राज्य सरकार के कार्मिकों, जिन्हें यथास्थिति 01 जुलाई/01 जनवरी को वेतनवृद्धि दिया जाना नियत है, द्वारा आहरित अंतिम वेतन में एक नोशनल वेतनवृद्धि जोडते हुए पेंशन एवं ग्रेच्युटी का आगणन किया जाय।

दिनांक 0 1 जुलाई को वेतनवृद्धि प्रदान किये जाने सम्बन्धी व्यवस्था दिनांक-01.01.2006 से प्रभावी वेतन समिति, उत्तर प्रदेश (2008) की संस्तुतियों के क्रम में लागू की गयी है। अतः इन आदेशों से वे कार्मिक भी आच्छादित होंगे जो दिनांक-01.01.2006 के उपरान्त परन्तु शासनादेश निर्गत होने के पूर्व सम्बंधित वर्ष की 30 जून को सेवानिवृत्त हो चुके थे परन्तु उन्हें यह लाभ तात्कालिक प्रभाव से अनुमन्य होगा तथा उन्हें एरियर का भुगतान अनुमन्य नहीं होगा। यही व्यवस्था दिनांक-01.01.2016 के उपरान्त परन्तु शासनादेश निर्गत होने की तिथि के पूर्व सेवानिवृत्त उन कार्मिको पर भी लागू होगी जो सम्बंधित वर्ष की 30 जून/31 दिसम्बर को सेवानिवृत्त हुए तथा जिन्हें यथास्थिति 01 जुलाई/01 जनवरी को वेतनवृद्धि देय थी। उक्त आदेश शासनादेश निर्गत होने की तिथि से लागू होंगे।

Registrar
For circulation and appropriate action
4/9/25

कुलपति

DRG/2602.
शाकुम्भरी वि0 वि0 सहारनपुर
श्री राकेश कुमार Admin को
आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
Date Month Year
5/9/2025
उप कुल सचिव

2- अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त विभाग के उक्त शासनादेश दिनांक-12.06.2024 में प्राविधानित व्यस्था प्रदेश के विश्वविद्यालयों/अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों पर लागू किये जाने के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीया,

(निधि श्रीवास्तव)

विशेष सचिव।

Digitally signed by
Nidhi Srivastava
Date: 02-09-2025
16:15:58

## दिनांक 30जून/31 दिसम्बर को सेवानिवृत्त होने वाले प्रदेश के विश्वविद्यालयों/ अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की सेव0नि0 की तिथि 30 जून/31 दिसम्बर) के ठीक अगले दिन अर्थात 01जुलाई/01जनवरी को वेतनवृद्धि नियत होने पर ऐसे कार्मिकों की पेंशन की गणना हेतु एक नोशनल वेतनवृद्धि जोडेंजाने के सम्बन्ध में

**From** higher education <hed3976@gmail.com>

**To** <registrar@lkouniv.ac.in>, <registrar@csjmu.ac.in>, Ram Chandra Awasthi <registrarcsjmuknp@gmail.com>, <registrar.dbrau.ac.in@gmail.com>, <registrar@rmlau.ac.in>, <registrar.bujhansi@gmail.com>, registrar ccsuniversity <registrar@ccsuniversity.ac.in>, PURVANCHAL UNIVERSITY JAUNPUR <connectpuregistrar@gmail.com>, <registrarddugu@gmail.com>, <ddugubed@gmail.com>, 42 more...

**Date** 03-09-2025 12:21

document - 2025-09-03T111025.459.pdf (~108 KB)